यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला के माह 01/2020 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन. यादव (सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी), श्री पी.के. श्रीवास्तव (सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी) एवं श्री शरद चौधरी (सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ)) द्वारा दिनांक 22/01/2021 से 03/02/2021 तक श्री जे.एम.एस. रावत (वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी) के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार (स.ले.प.अ.) एवं श्री राजेश सिन्हा (स.ले.प.अ.) एवं श्री श्री हरिओम (सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ)) द्वारा दिनांक 30/01/2020 से 12/02/2020 तक श्री ए. के. जैन (वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी) के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में निष्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2019 से 12/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः अप्रस्तुत**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर-स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
	स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	-	-	4772.09*	4772.09*	-	-	-	-
2019-20	-	-	613.18	613.18	2313.37	2313.37	-	-
2020-21 (up to 12/2020)	-	-	386.36	386.36	1532.95	1242.45	-	290.5

** वर्ष 2018-19 के लिए स्थापना एवं गैर-स्थापना के आबंटन एवं व्यय की स्थिति पृथक–पृथक नहीं उपलब्ध नहीं कराई गयी है।*

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19	**शून्य**					
2019-20						
2020-21 (up to 10/2020)						

2. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "**A**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **मार्च 2020** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयनित किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य "**मोरी से ओडारतक मोटर मार्ग का निर्माण"** का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

5. मुख्य अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में किया गया निरीक्षण: 08/09/2020

6. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह **09/2020** तथा **09/2020** तक की गई।

7. फार्म 51: माह **12/2020** तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम - (-)₹ 3292622.00
भाग द्वितीय - ₹ 419433

8. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह **12/2020** के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	-	₹ 6712202
(ख)	सामग्री क्रय	-	Nil
(ग)	नगद परिशोधन	-	Nil
(घ)	निक्षेप-	-	₹ 35352511
(ङ)	भण्डार-	-	(-) ₹ 6208870

भाग-II (अ)

प्रस्तर-1 : (A) वित्तीय नियमों का पालन न करते हुये कार्य के निष्पादन मे ₹ 117.19 लाख व्यय के उपरांत भी कार्य का अपूर्ण एवं अवरुद्ध रहने का प्रकरण।

As per Financial Handbook Volume-VI:

379- The authority granted by a sanction to an estimate must on all occasions be looked upon as strictly limited by the precise objects for which the estimate was intended to provide. Accordingly, any anticipated or actual savings on a sanctioned estimate for a definte project should not, without special authority, be applied to carry out additional work, not contemplated in the original project or fairly contingent on its actual execution.

III—Lapse of sanction

380- The approval or sanction to an estimate for any public work other than annual repairs will unless such work has been commenced cease to operate after a period of five years from the date on which it was accorded

IV—A Iteration on design during construction

381- No material a Iteration in sanctioned (still less in standard) designs may be made by a divisional officer in carrying out any work, without the approval of the superintending engineer. Should any alteration of importance, involving additional expense, be considered necessary, a revised or supplementary estimate (See paragraph 394 to 398) should be submitted for sanction.

In the case of material modifications of or deviations from a sanctioned estimate it is the duty of the executive officers to see that sanction of the competent authority is obtained.

उत्तराखंड शासन द्वारा पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत टकोची पुल से झाकुली –दुचाणु-कंडासीधार तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मार्ग लंबाई 20.00 किमी हेतु ₹ 440.00 लाख की प्रदान की गयी थी (माह नवंबर 2006) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति उक्त धनराशि हेतु ही मार्ग लंबाई 5.825 किमी हेतु प्रदान की गयी (माह अगस्त 2018)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध 13 SE-06/2018-19 दिनांकित 27.02.2019 आगणित लागत ₹ 352.99 लाख के सापेक्ष ₹ 291.56 लाख हेतु गठित की गयी। अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 26.08.2020 निर्धारित थी। वर्तमान मे कार्य पर कुल व्यय ₹ 263.17 लाख था।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो0 नि0 वि0, पुरोला के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (जनवरी 2020) मे पाया गया कि खंड के द्वारा वित्तीय नियमावली के विपरीत वित्तीय स्वीकृति के 05 वर्ष से भी अधिक समय उपरांत (12 वर्ष से भी अधिक) कार्य प्रारम्भ किया गया अपितु 20.00 किमी मार्ग लंबाई हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बावजूद भूमि सर्वेक्षण एवं भूगर्भीय आख्या मे 13.00 किमी मार्ग लंबाई हेतु

समरेखन लिया गया किन्तु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उक्त को निरस्त कर दिये जाने के उपरांत एक नया समरेखन मात्र 5.825 किमी लंबाई हेतु प्रस्तावित किया गया जो पुनः वन भूमि एवं नाप भूमि से गुजरती थी। पुनः खंड द्वारा पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त न कर उपरोक्त स्वीकृत धनराशियों के अंतर्गत ही कार्य प्रारम्भ किया गया जो पुनः ग्रामीण विवाद के कारण मात्र 1.5 किमी (₹ 117.19 लाख व्यय अंतिम भुगतान बिल के अनुसार) निष्पादित होने के बाद माह फरवरी 2020 से (11 माह) बंद है। खंड द्वारा उक्त कार्य मे देरी हेतु सक्षम अधिकारी से कोई समयावृद्धि भी प्राप्त नही की गयी थी। इसके अतिरिक्त खंड द्वारा फार्म-64 (दिसंबर 2020) मे उल्लेखित व्यय ₹ 263.27 लाख एवं अंतिम भुगतान बिल के अनुसार व्यय ₹ 117.19 लाख मे अंतर ₹ 146.08 लाख का भी कोई संतोषजनक उत्तर/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सर्वेक्षण में मोटर मार्ग पूर्व मे टिकोची पल से प्रस्तावित किया गया था किन्तु मार्ग मे अत्यधिक वृक्ष आने के कारण वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया जिसके उपरांत उक्त मार्ग का समरेखन टिकोची-दुधाणु-किराणु मोटर मार्ग के किमी 8.00 से प्रारम्भ किया गया। पुनः ग्रामीणो द्वारा उक्त मार्ग मे विवाद करने के कारण कार्य मात्र 1.50 किमी में पूर्ण किया जा सका एवं कार्य माह फरवरी 2020 से बंद है। उक्त व्यवधान प्रकरण जिलाधिकारी उत्तरकाशी एवं अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी के संज्ञान में है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खंड द्वारा न केवल वित्तीय नियमो के विपरीत मार्ग लंबाई 20.00 किमी हेतु प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष मात्र 13.00 किमी हेतु समरेखन की स्वीकृति भी भारत सरकार द्वारा निरस्त किए जाने (माह 05/2014) के बावजूद एक नए समरेखन मार्ग लंबाई 5.825 किमी हेतु कार्य की प्राविधिक स्वीकृति उक्त लागत एवं वनभूमि एवं नाप भूमि होने के बावजूद प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया गया अपितु मात्र 1.5 किमी मार्ग लंबाई के निष्पादन (व्यय ₹ 117.19 लाख) के उपरांत लगभग एक वर्ष से कार्य भी बंद है। खंड द्वारा फार्म-64 मे ₹ 146.08 लाख की भिन्नता के संबंध मे भी पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

अतः खंड द्वारा वित्तीय नियमो का पालन न करते हुये कार्य के निष्पादन मे ₹ 117.19 लाख व्यय के उपरांत भी कार्य का अपूर्ण एवं अवरुद्ध रहने का प्रकरण एवं स्वीकृत मार्ग के इतर मार्ग के निर्माण की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

(B) : वित्तीय नियम का उल्लंघन करते हुये कार्य का निष्पादन एवं कार्य समयावधि के अंतर्गत पूर्ण न होने (10 माह से भी अधिक समय) पर भी ठेकेदार से ₹ 24.40 लाख के अर्थदण्ड की वसूली का लंबित रहना।

उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत मोरी-ओडाटा मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मार्ग लंबाई 20.00 किमी हेतु ₹ 480.00 लाख की प्रदान की गयी थी (माह मार्च 2006) जिसकी आंशिक प्राविधिक स्वीकृति मार्ग लंबाई 6.00 किमी हेतु रु 376.56 लाख धनराशि की प्रदान की गयी (माह अप्रैल 2018)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध 08 SE-06/2018-19 दिनांकित 28.08.2018 आगणित लागत ₹ 264.17 लाख के सापेक्ष ₹ 240.40 लाख हेतु गठित की गयी। अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 22.02.2020 निर्धारित की गयी थी। वर्तमान मे कार्य पर कुल व्यय ₹ 135.94 लाख था।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो0 नि0 वि0, पुरोला के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (जनवरी 2020) मे पाया गया कि खंड के द्वारा वित्तीय नियमो के विपरीत न केवल मार्ग लंबाई 20.00 किमी हेतु प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष 12 वर्ष पश्चात मात्र 6.00 किमी मार्ग लंबाई हेतु ही मूल समरेखन मे परिवर्तन करते हुये आंशिक प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया गया अपितु उक्त समरेखण मे पड़ने वाले एक सेतु का वर्तमान तक न कोई प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी थी और न ही कोई अनुबंध गठित किया गया था। पुनः अनुबंध के अनुसार कार्य की निर्धारित तिथि के 11 माह बाद भी ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण न किए जाने पर अनुबंध की शर्तो के अनुसार ₹ 24.40 लाख की अर्थदण्ड की वसूली भी नहीं की गयी थी।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि पूर्व के समरेखण में मार्ग खड़ी चट्टानो से होकर गुजरता जिसका निर्माण किया जाना संभव नहीं था अतः प्रस्तावित ओडाटा मार्ग की संयोजकता खूनीगाड-सरांश मार्ग से प्रदान की गयी क्योंकि यदि मोरी–ओड़ाटा मार्ग की संयोजकता अन्यत्र मार्ग से प्रदान की जाती तो मार्ग मे सघन वनभूमि आ रही थी। पुनः सेतु हेतु अनुबंध न गठित किए जाने के संबंध मे बताया गया कि मार्ग एवं पुल में एक का ही अनुभव ठेकेदार के पास होने के कारण सेतु के निर्माण हेतु अनुबंध का गठन नहीं किया गया। कार्य मे देरी हेतु ठेकेदार से Liquidated damage के रूप मे अर्थदण्ड की वसूल न किए जाने के संबंध मे खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि ठेकेदार को शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा कार्य मे देरी हेतु समयावृद्धि प्राप्त होने के उपरांत उक्त अर्थदण्ड की वसूली की कार्यवाही कर ली जाएगी।

अतः खंड के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खंड द्वारा न केवल वित्तीय नियमो के विपरीत 05 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात (12 वर्ष) प्रारम्भ किया गया अपितु 20.00 किमी मार्ग लंबाई की स्वीकृति के सापेक्ष मात्र 6.00 किमी मार्ग लंबाई मे नए समरेखन (पूर्व समरेखन के इतर) हेतु आंशिक प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया गया। जिससे वर्तमान तक न सिर्फ कार्य अपूर्ण था अपितु उक्त पर किया गया व्यय ₹ 135.94 लाख भी अवरुद्ध था। खंड द्वारा कार्य में देरी हेतु भी ठेकेदार से Liquidated damage के रुप में ₹ 24.40 लाख की वसूली भी नहीं की गयी, पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के 10 माह बाद भी कार्य अपूर्ण था (50% कार्य)। अतः खंड द्वारा वित्तीय नियम का उल्लंघन करते हुये कार्य का निष्पादन एवं कार्य समयावधि के अंतर्गत पूर्ण न होने (10 माह से भी अधिक समय) पर भी ठेकेदार से ₹ 24.40 लाख के के अर्थदण्ड की वसूली का लंबित रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर:1- सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेसन स्कीम के अंतर्गत वेतन निर्धारण में अनुचित रूप से दो अतिरिक्त वित्तीय स्तारोनयन देकर अनुचित लाभ दिया जाना।

खंड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जांच में यह पाया गया कि श्री संदीप सिंह (मेट), जिनकी विभाग में नियुक्ति कि तिथि 24.04.2008 है, को विभाग में दिनांक 23.04.2018 को 10 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रथम वित्तीय स्तारोनयन दिया गया। श्री सिंह पूर्व में वेतन मैट्रिक्स के 19,900-63,200 (लेवल-2) के अंतर्गत कोष्ठिका संख्या-09 में रु. 25,200/- वेतन आहरित का रहे थे। प्रथम वित्तीय स्तारोनयन प्रदान किए जाने के पश्चात श्री सिंह के वेतन निर्धारण में उनको वेतन के रूप में आहरित की जा रही धनराशि की कोष्ठिका-09 से कोष्ठिका-12 में बढ़ाकर अगले स्तर (लेवेल-3) में कोष्ठिका-12 के समतुल्य या अगली उच्चतर कोष्ठिका (लेवेल-03, कोष्ठिका-9) में कर दिया गया जबकि सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.एस.) से संबन्धित शासनादेश के प्रस्तर-3 में निहित प्रविधानों के अनुसार अनुसार इनका वेतन निर्धारण इनके द्वारा आहरित वेतन अर्थात कोष्ठिका -10 के समतुल्य अगले स्तर (लेवेल-3) की समतुल्य या उससे उच्चतर कोष्ठिका में ही निर्धारित किया जाना चाहिए था। जिससे उनको ₹ 52,774/- तथा अन्य अनुमन्य भत्तों का अनुचित लाभ हुआ।

खंड द्वारा दिये गए उत्तर मे यह बताया गया कि विभाग द्वारा उक्त प्रकरण पर कार्यवाही की जा रही है। खंड द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण स्वयं ही उक्त आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः श्री सिंह को गलत वेतन निर्धारण के रूप में उनको ₹ 52,774/- तथा अन्य अनुमन्य भत्तों का अनुचित लाभ देने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-2 मूल स्वीकृति ₹ 264.00 लाख के सापेक्ष ₹ 170.37 लाख व्यय होने तथा स्वीकृति के 12 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी 12.00 कि0मी0 निर्माण के सापेक्ष मात्र 1.500 कि0मी0 लम्बाई में ही कार्य निष्पादन।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के मियागांड-कुनारा मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति माह 03/2008 में 12.00किमी0 लम्बाई हेतु ₹ 264.00 लाख प्रदान की गयी थी। एवं प्राविधिक स्वीकृति माह 12/2016 में मात्र 1.500 कि0मी0 (किमी0 1.00 एवं 2.00 में) प्रभारी मुख्य अभियन्ता (टि0क्षे0), लो0नि0वि, द्वारा ₹ 100.46 लाख की प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला की लेखापरीक्षा माह 02/2021 में पाया गया कि खण्ड द्वारा कुल लम्बाई 12.00 कि0मी0 के सापेक्ष मात्र 1.500 कि0मी0 लम्बाई में संरेखण परिवर्तित कर वर्ष 2017-18 में कार्य प्रारम्भ किया गया था। कार्य के सापेक्ष माह 12/2021 तक कुल ₹ 170.37 लाख व्यय किया जा चुका था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि यद्यपि शासन द्वारा कार्य हेतु 12.00 कि0मी0 लम्बाई में स्वीकृति लगभग 12 वर्ष पूर्व प्रदान की गयी थी किन्तु खण्ड के लचर कार्यप्रणाली एवं ढुलमुल रवैये के कारण मात्र 1.500 कि0मी0 लम्बाई में ही कार्य किया जा सका था। जबकि आगे के लम्बाई के कार्य हेतु वनभूमि की स्वीकृति लेखापरीक्षा तिथि तक अपेक्षित थी।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्डीय आख्या में स्वीकार किया गया कि मात्र 1.500 कि0मी0 लम्बाई में ही कार्य किया गया है एवं अवशेष लम्बाई में वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित है। खण्ड का उत्तर स्वतः इस बात की पुष्टि करता है कि मूल स्वीकृति (2008) के लगभग 12 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी खण्ड कार्य हेतु आवश्यक भू-अर्जन नही कर सका। अन्ततोगत्वा लक्षित उद्देश्य भी प्राप्त नही किये जा सके जबकि कार्य पर ₹ 170.37 लाख व्यय किये जा चुके थे।

अतः मूल स्वीकृति ₹ 264.00 लाख के सापेक्ष ₹ 170.37 लाख व्यय होने के बाद तथा स्वीकृति के 12 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी 12.00 कि0मी0 निर्माण के सापेक्ष मात्र 1.500 कि0मी0 लम्बाई में ही कार्य किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -II(ब)

प्रस्तर-3 एस0पी0ए0(आर0) मद में आबंटन प्राप्त नहीं होने पर भी कार्य हेतु धनराशि ₹ 20.06 लाख व्यावर्तित कर ठेकेदार को अग्रिम भुगतान किया जाना।

एस0पी0ए0(आर0) के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के मोरी नैटवाड सांकरी (राज्य मार्ग संख्या 48) मोटर मार्ग के सतह सुधार एवं डामरीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्याः 663/III(3)/16-06(एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0-II, दिनांक 16.11.2016 द्वारा (कि0मी0 1 से 26 तक) कुल लागत ₹ 709.13 लाख की प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता(टिहरी क्षेत्र), लो0नि0वि0, नई टिहरी द्वारा पत्रांक : 11134/08(6) पुरोला(टी0एस0)-टिहरी/2016 दिनांक 22-12-2017 के माध्यम से किमी0 1 से 26 हेतु लागत ₹ 709.13 लाख की प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला की लेखापरीक्षा (01/2020) में पाया गया कि उक्त कार्य निष्पादन हेतु अनुबन्ध संख्या 05/एस.ई.-06/2017-18 दिनांक 15.02.2018, अनुबन्ध लागत ₹ 5,72,89,379.90 गठित किया गया था, जिसकी कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.02.2018 व कार्य पूर्ण करने की नियत तिथि 14.02.2019 थी। दिनांक 15.11.2019 को विभाग द्वारा ₹ 3,38,04,888.00 के कार्य ठेकेदार द्वारा किये जाने के पश्चात अनुबन्ध का अन्तिमीकरण कर दिया गया था। उक्त अनुबन्ध के अन्तिमीकरण के पश्चात् अवशेष कार्य निष्पादन हेतु ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह रावत के साथ अनुबन्ध संख्या 03/एस.ई.-06/2020-21 दिनांक 17.07.2020, अनुबन्धित लागत ₹ 14731391.15 + GST ₹ 1767766.94 का गठन किया गया, जिसकी कार्य प्रारम्भ की तिथि 17.07.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 16.01.2021 थी।

आगे जांच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 हेतु लेखापरीक्षा तिथि (12/2020) तक एस0पी0ए0(आर0) मद में कोई भी आबंटन प्राप्त नही हुआ था तथापि अवशेष कार्य हेतु गठित अनुबन्ध संख्या 03/एस.ई.-06/2020-21 दिनांक 17.07.2020 के सापेक्ष ठेकेदार को भुगतान वाऊचर संख्या 95 दिनांक 10/09/2020 के माध्यम से ₹ 2006407.00 का अग्रिम भुगतान व्यावर्तित कर किया गया।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि एस0पी0ए0(आर0) मद में 2020-21 में माह दिसम्बर 2020 तक आबंटन प्राप्त नही हुआ है, किये गये अग्रिम भुगतान को प्रकीर्ण अग्रिम पर भारित किया गया है, आबंटन प्राप्त होने पर समायोजित हो जायेगा।

खण्ड के उत्तर से स्वतः लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि एस0पी0ए0(आर0) मद में वर्ष 2020-21 में आबंटन प्राप्त नही होने पर भी कार्य हेतु धनराशि ₹ 20.06 लाख व्यावर्तित कर ठेकेदार को अग्रिम भुगतान किया गया।

अतः एस0पी0ए0(आर0) मद में आबंटन प्राप्त नही होने पर भी कार्य हेतु धनराशि ₹ 20.06 लाख व्यावर्तित कर ठेकेदार को अग्रिम भुगतान किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या**		
		भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
1.	28/2002-03	1,2,3	4
2.	12/2003-04	1	1,2,3
3.	119/2004-05	-	3
4.	102/2005-06	1	-
5.	03/2009-10	1,2,3,4	-
6.	46/2014-15	-	1,2,4,5
7.	88/2015-16	-	1,2,3,4
8.	18/2017-18	-	1,6,7
9.	105/2018-19	-	1,4,5
10.	115/2019-20	-	1,2,3,4,5,6,7

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	वर्ष 2002-03 से 2019-20 की अवधि में हुए समस्त लेखा परीक्षा के प्रस्तरों के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए है।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य
सतत् अनियमितताएः शून्य

1. **विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

नाम	पदनाम	अवधि
श्री धीरेन्द्र कुमार	अधिशासी अभियन्ता	16.12.2016 से वर्तमान तक।

2. **विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

नाम	पदनाम	अवधि
श्री धीरेन्द्र कुमार	खंडीय लेखाधिकारी	12 जून 2017 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला** को इस आशय से प्रेषित की गई है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार, (AMG-II) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (NPSUs)